COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

A.B.P. No. 354/2026

Complaint case no. 1282C/2021

Vijay Das & others Vs. State of Bihar

आदेश

30.03.2026 परिवाद पत्र संख्या–1282सी/2021, जो भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 379, 354, 504 सपठित धारा 34 से संबंधित है, के आवेदक अभियुक्तगण 1. विजय दास, उम्र करीब 31 वर्ष, पिता–मेघलाल दास, 2. अरूण कुमार, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता–सीताराम दास, 3. सीताराम दास, उम्र 46 वर्ष पिता–स्व0 अयोधी दास सभी निवासी ग्राम–कटावत, थाना–सोनो, जिला–जमुई की ओर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से यह है कि परिवादिनी अनिता देवी दिनांक–12.11.2021 को समय करीब 1 बजे दिन में परिवादिनी अपने पति, सास, ससुर के साथ दरवाजा पर बैठकर आपस में बातचीत कर रही थी। उसी समय परिवादिनी के पति बोला कि एक बाल्टी पानी चापाकल से लाओ। ज्योंही परिवादिनी चापाकल पर पानी लाने गयी तो अभियुक्त विजय दास बुरी नियत से परिवादिनी को झोंटा पकड़कर पटक दिया तथा बाहं पकड़कर ब्लाउज भी फाड़ दिया तथा चापकल पर एकांत पाकर घर के अंदर ले जाने लगा तब तक परिवादिनी के पति दौड़कर आये तब परिवादिनी का इज्जत आबरू बच सका। तब सदर अभियुक्त हरवे हथियार से लैस होकर गाली गलौज तथा मारपीट करने लगे। अभियुक्त मेघलाल दास परिवादिनी के पति को जान मारने के नियत से माथा पर खंती से मारा जिससे माथा फट गया तथा खून बहने लगा। सभी अभियुक्तगण धमकी देते है कि सभी को जान से मार देंगे तथा चापकल से पानी नहीं लेने देंगे जबकि चापाकल सरकारी चापाकल है। परिवादिनी के गले से एक भर का सोना का चैन खींच लिया जिसका कीमत करीब चालीस हजार रूपया होगा तथा अभियुक्त सीताराम दास परिवादी के आंचल में बंधा चार हजार रूपया भी छीन लिया तथा धमकी देता है कि यहां से भागो नहीं तो एक एक करके साजन से मार व मरवा देंगे। थाना गई तो थानाध्यक्ष ने कोर्ट में जाकर केस करो। आज दिनांक–15.11.2021 को न्यायालय में नालिश दिया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण में गोतिया विवाद के कारण यह झूठा केस किया है। **दोनों पक्षों में सुलह हो गया।**

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन सुलह के आधार पर उदार दृष्किोण आपनाने पर अपनी सहमति व्यक्ति की है।

मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला आपराधिक परिवाद पत्र पर आधारित है। परिवाद पत्र से स्पष्ट है कि पानी को लेकर झगड़ा हुआ। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने जांचोपरांत अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 379, 354, 504/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है। उभय पक्षों में सुलह हो गया है। अतः आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का ओदश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय श्री अनिमेष रंजन, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।